

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 40 " नगरों में Green Lungs की अति आवश्यकता है। इस क्रम में शहरों के आस-पास वन क्षेत्रों का विकास कर आम जनता के लिए खोलने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 7712 दिनांक 31.08.2023 द्वारा आवंटित बजट में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	स्थान	पूर्व में आवंटित बजट (राशि रु. लाखों में)	संशोधित स्थान	संशोधित बजट आवंटन (राशि रु. लाखों में)
406-02-800 -02-01-16 लघु निर्माण कार्य	सीकर	उप वन संरक्षक, चूरु	रतन नगर बीड़-चूरु	200.00	रतन नगर बीड़ राजगढ़-चूरु	200.00
			राजगढ़, चूरु	200.00	-	0.00

उक्त आवंटित बजट का उपयोग करते समय निम्न दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

1. उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जायें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.के. उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुखस/ 7737-43 दिनांक: 01/09/2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, सीकर
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, चूरु।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा/रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर